

सं. 21/ वीजीएल/051
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए
जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली
दिनांक : 03.11.2022

परिपत्र सं 24/11/22

विषय: शिकायत निवारण तंत्र के व्यापक दिशा-निर्देशों में संशोधन के संबंध में ।

संदर्भ: आयोग का दिनांक 24.12.2021 का परिपत्र संख्या 25/12/21

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी अधिनियम 2003 की धारा 8(1) (ग) और 8(1) (घ) के तहत निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न स्रोतों से शिकायतें प्राप्त करता है । शिकायत प्रबंधन तंत्र के माध्यम से शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसे शिकायतकर्ताओं को शुरू से अंत तक जानकारी प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया है ।

2. तदनुसार, आयोग द्वारा दिनांक 24.12.2021 के परिपत्र के माध्यम से जारी शिकायत प्रबंधन तंत्र के लिए व्यापक दिशानिर्देश भी निम्नलिखित सीमा तक संशोधित किए गए हैं: -

क) दिशानिर्देशों के पैरा 2.2 को निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

(i) शिकायतों को आयोग में, आयोग के पोर्टल अर्थात् <https://portal.cvc.gov.in> पर या आयोग की वेबसाइट www.cvc.gov.in के माध्यम से, जो होम पेज पर उपलब्ध “शिकायत दर्ज करें” लिंक के अंतर्गत है, ऑनलाइन दर्ज करा सकता है । पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए, शिकायतकर्ता के लिए यह अनिवार्य है कि मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं, ताकि प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पर एक स्वचालित ओटीपी भेजा जा सके । जैसे ही पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जाती है, शिकायत के पंजीकरण की पुष्टि करने वाला और शिकायत संदर्भ संख्या वाला एक एसएमएस शिकायतकर्ता को भेजा जाएगा । पोर्टल के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों की स्थिति को केवल ई-मोड के माध्यम से ही ट्रैक किया जा सकता है ।

(ii) सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता भवन जीपीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, आईएनए, नई दिल्ली-110023 को लिखित सूचना पत्र भेजकर भी आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है ।

ख) दिशानिर्देशों का पैरा 4.1 (ii) हटा दिया गया है ।

ग) दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 में, उप-पैरा 4.1 (iv) जोड़ा गया है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

“ऐसी शिकायतें जिनमें आरोप प्रशासनिक/गैर-सतर्कता प्रकृति के हैं, उन्हें भी संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों को भेजा जाता है।”

घ) पैरा 4.3.1(v) को निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

यदि आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित सीवीओ को शिकायत भेजने का निर्णय लिया गया है, तो शिकायतकर्ता को भी इसके बारे में सूचित किया जाएगा। ऐसे परिदृश्य में, शिकायतकर्ता को शिकायत के परिणाम के बारे में सूचित करने की जिम्मेदारी संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी की होगी, जिसे पोर्टल के माध्यम से ही दी जाएगी।

ड) पैरा 4.3.2 (i) और (ii) हटा दिए गए हैं।

च) पैरा 6.3 (ई) को निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

किसी विशेष पीआईडीपीआई शिकायत के लिए जनरेट की गई एक संदर्भ संख्या सूचना प्रदाता को भौतिक माध्यम से सूचित की जाएगी, ताकि वह उस विशेष शिकायत की स्थिति का पता कर सके। पीआईडीपीआई शिकायतकर्ता आयोग द्वारा प्रदान की गई संदर्भ संख्या दर्ज करके अपनी शिकायत की स्थिति का पता लगा सकता है।

जी) तालिका की क्रमांक संख्या (7) में पैरा 7.3 पर समय सीमा को "2 महीने" पढ़ा जाए।

ह0/-
(राजीव वर्मा)
निदेशक

प्रति

- (i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों के सचिव
- (ii) सीपीएसयू/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/स्वायत्त निकायों आदि के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसयू/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/स्वायत्त निकायों आदि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी
- (iv) सीवीसी की वेबसाइट